[2008] एस.सी.आर. 1010

असलमउर्फ़ दीवान

बनाम

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1531/2008)

सितंबर 25,2008

[न्यायमूर्ति, डॉक्टर अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति डॉक्टर मुकुंदकम शर्मा]

भारतीयदंड संहिता, 1860 – धारा 394-सी मे लूट करने के लिए स्वछेया उपहति कारित करना-आरोपी ने एक व्यक्ति को लूटकर गंभीर चोट कारित की-आयोजित हस्तक्षेप के तहत अदालतों द्वारा 10 साल के कठोर कारावास के साथ धारा 394 के तहत दोषसिद्धी घोषित:परीक्षण पहचान परेड की गई-मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जांच के दौरान पीड़ित द्वारा अभियुक्त की पहचान की गई-पीड़ित द्वारा बरामद वस्तुओं की पहचान की गई -इस प्रकार, विचारणीय अदालतों के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अभियोजन पक्ष के मामले में, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, कुछ उपद्रवियों ने पीडब्लू-11 को लोहे के सरिये से उसके सिर पर गंभीर प्रहार करके लूटा और बैग छीन लिया और भाग गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।अपीलार्थी एवं अभियुक्त डब्लू को गिरफ्तार किया गया।आरोपी डब्ल्यू द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लूटा गया सामान एवं घटना मे उपयोग किया गया हथियार भी बरामद किया गया। पीडब्लू-11 घायल गवाह और अन्य गवाहों की साक्ष्य अभिलेख पर ली गई। विचारणीय अदालत द्वारा, अपीलकर्ता और अभियुक्त डब्ल्यू को दोषी ठहराया और उन्हें आई.पी.सी 1860 की धारा 394 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया

1.1 इस मामले में, परीक्षण पहचान परेड की गई थी। पहचान कार्यवाही पीडब्लू-21 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित की गई । अभियुक्तों की पहचान पीडब्लू-11 द्वारा पीडब्लू-21 की उपस्तिथि मे जांच के दौरान की गई थी। PW-11 ने उन वस्तुओं की पहचान की जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बरामद की गई थीं। पहचान कार्यवाही की रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 और पी-14 है। यह कि पी. डब्ल्यू.-11 के द्वारा आरोपी व्यक्तियों को पहले देखने का अवसर मिला होगा यह विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा बिना किसी सार का पाया गया।

1. 2 अपीलार्थी का मामला कि वह पहले ही काफी समय तक हिरासत में रह चूका है । विचारणीय न्यायालय ने यह भी नोट किया कि दोनों अभियुक्त आदतन अपराधी हैं और इसी तरह की अपीलें उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त अभ्युक्त व्यक्तियों से सम्बंधित लंबित हैं। क्यूंकि न्यूनतम 10 साल की सजा दी गई है, वहाँ अपील में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1531/2008

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 2.3.2007 को एस. बी. अपराधिक जेल अपील संख्या 1233/ 2004 के निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी के लिए चैतन् सिद्धार्थ (ए. सी.) और पी. पूर्णिमा

प्रतिवादी के लिए अरुणेश्वर गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉक्टर अरिजीत पसायत

द्वारा सुनाया गया

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध है, जिसमें से एक वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर की गई थी और दूसरी वसीम उर्फ़ राजू द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश जयपुर शहर, जयपुर नकली मुद्रा मामलों ,के सामान्य फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित कि गई । अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया गया और भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 394 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावासकी सजा सुनाई गई।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

जगदीश सोनी (पीडब्लू-1) द्वारा पुलिस स्टेशन मानक चौक, बड़ी चोपड़, जयपुर में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 24.4.2002 पर लगभग 8:30 बजे से 8: 45 बजे उनके बहनोई श्री नंद किशोर पुत्र श्री बी रामेश्वर दास को कुछ उपद्रवियों ने पार्थानियन-का-रास्ता और गली महादेव के बीच में लूट लिया, जिन्होंने लोहे की छड़ से उनके सिर पर गंभीर प्रहार किया और उनका थैला छीन लिया और भाग गए। नन्द किशोर को बांगर अस्पताल मे भरती कराया गया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने धारा 392 भारतीय दंड संहिता के तहत एफ. आई. आर. (प्रदर्श पी-2) दर्ज की ।अनुसन्धान के दौरान आरोपी वसीम @राजू पुत्र कादिर को पुलिस ने 2.5.2002 पर कडकाड-डूमा अदालत के दिल्ली परिसर में दोपहर लगभग 3 बजे गिरफ्तार किया गिरफ्तारी-ज्ञापन (प्रदर्श पी-27) और अभियुक्त-अपीलार्थी असलम उर्फ़ दीवान पिता शम्शु खान को बिलाला मसजीत के पास शेओकत भाई के घर में गिरफ्तारी-ज्ञापन प्रदर्श पी-25 के माध्यम से दिनांक 11.05.2002 को गिरफ्तार किया गया था। वसीम ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') घटना के स्थान के बारे में जानकारी दी जिसे प्रदर्श पी- 21 लिखा गया । उसने प्रदर्श पी-22 के माध्यम से उस दुकान के संबंध में एक और जानकारी दी जहां से उसने उक्त घटना के लिए किराए पर एक साइकिल ली थी, और बैग, जिसे घटना की तारीख को लूटा गया था, और बताया कि ये सामान मकान नंबर सी 48, शाहिद नगर, गली नंबर 3, पुलिस थाना साहिबाबाद (उ.प्र) में पड़े हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा प्रदर्शनी पी-23 के माध्यम से 10000 रूपए जो भारत प्रॉपर्टीज , लोईनी रोड को प्लाट की खरीदी के लिए दिए थे जिसके अनुसरण मे 10000 रूपए जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-24 से साक्षी साजिद एवं मंज़ूर हसन के समक्ष बरामद किये गए। अभियुक्त की दी हुई जानकारी क आधार पर अन्य संपती जप्त की गई । जिस लोहे की रॉड का इस्तेमाल आहत नन्द किशोरे को मारने के लिए किया था उसे भी

जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-12 के माध्यम से दिनांक 15.05.2002 को जपता किया गया। हाथ थैला एवं अन्य सोने की सामग्री को भी अभियुक्त व्यक्तियों की जानकारी अनुसार प्रदर्श पी-18 के मेमो से जप्त किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अन्य जानकारी भी दी गई थी और जिनके अनुसार जप्ती की गई और सभी जानकारी उनके द्वारा स्वछेया लिखित मे दी गई।

4. चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने बेगुनाही का अनुरोध किया, इसलिए मुकदमा चलाया जाता है अभियोजन पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए 21 साक्षियों से पूछताछ की गई थी। नन्द किशोर (पीडब्लू-11) घायल साक्षी था-अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए विचारणीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया गया । जिसके बाद अपीलकर्ताओं ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय में अपील लगाईं। उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मानकथा की पीडब्लू-11 की साक्ष्य अभियुक्त के दोष को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उच्च न्यायालय को कोई सार नहीं मिला औरउनके द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया।

5. अपील के समर्थन में, यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी के दोष को धारा 394 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत साबित बनाये रखने के लिए पर्याप्त नहीं था।

6. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान वकील द्वारा फैसले का समर्थन किया गया ।

7. धारा 394 लूट के दौरान स्वछेया उपहति करीत करने के लिए दंड का वर्णन करती है। इस धारा के तहत अपराध धारा 392 की तुलना में अधिक गंभीर अपराध है । धारा 394 लूटपाट के दौरान या उसके प्रयास के दौरान नुकसान पहुँचाने के बारे में बताती है और विचार करती है जबकि लूटपाट करने के लिए चोट पहुँचाने की शायद ही आवश्यकता होती है । धारा 394 भारतीय दंड संहिता उन मामलों मे लगती है जहां डकैती के दौरान स्वछेया उपहति करीत की गई हो।धारा 394 2 अलग-अलग तरह के वर्गों को वर्गीकृत करती है, पहले जो वास्तव में चोट पहुँचाते हैं और दुसरे वो जो वास्तव में चोट नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के साथ "संयुक्त रूप से "उपहति पहुचाते हैं। दूसरा वर्ग के व्यक्ति उपहति कारित करने मे योगदान नहीं देते लेकिन वे ज्ञान की संभावना या इसकी संभावना में विश्वास करने में सक्षम कारण से स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं।

8. तत्काल मामले में परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई। घायल नंद किशोर सोनी (पीडब्लू-11) द्वारा जाँच के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान ए. सी. जे. एम मुकेश जाट (पीडब्लू-21) की उपस्थिति में की गई। पीडब्लू-11 ने मजिस्ट्रेट आरती भारद्वाज (पीडब्लू-20) की उपस्थिति में बरामद की गई वस्तुओं की पहचान की। पहचान कार्यवाही रिपोर्ट प्रदर्श पी.-13 और पी.-14 हैं।

9. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहचान की कार्यवाही मुकेश जाट, न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीडब्लू-21) द्वारा की गई थी। यह मत कि पीडब्लू-11 को अभ्युक्त व्यक्तियों को देखने का अवसर मिला होगा यह विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी सार का पाया गया था । जप्त सामान की पहचान आरती भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा पहचान कार्यवाही में की गई थी ।

10. जहाँ तक सजा का संबंध है सजा न्यूनतम दस वर्ष है। इसलिए सजा को कम करने का कोई सवाल ही नहीं है, हालांकि अपीलार्थी का रुख यह था कि अपीलार्थी को पहले ही काफी समय तक हिरासत का सामना करना पड़ चूका है । विचारणीय न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि दोनों आरोपी व्यक्ति आदतन अपराधी हैं और इसी तरह की अन्य अपील जिसमे यही अभियुक्त व्यक्ति अपराधी है, उच्च न्यायालय के सम्मुख लंबित है ।

11 चूंकि तत्काल मामले में न्यूनतम सजा दी गई है, इसलिए हमें अपील में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

12. याचिका खारिज की जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।